

कृषि निदेशालय, बिहार

सका0आ0सं0-06/स्था0कोर्ट-05/18

कृ0/पटना, दिनांक : , 2018

सकारण आदेश

कृषि विभागीय अधिसूचना संख्या-118 दिनांक 09.02.2017 द्वारा प्रख्यात बिहार कृषि प्रक्षेत्र 'क्षेत्र सहायक' नियमावली 2017 के आलोक में क्षेत्र सहायक से प्रक्षेत्र सहायक एवं प्रक्षेत्र प्रबंधक के पद पर प्रोन्नति से संबंधित क्षेत्र सहायकों के दावों पर विचार किया गया तथा विचारोपरांत यह पाया गया कि :-

1. संयुक्त निदेशक (रसायन) मिट्टी जॉच प्रयोगशाला बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन क्षेत्र सहायक का पद वेतनमान वेतन स्तर-02 का है। इस पद का संवर्ग राज्य स्तरीय है तथा पूर्व में इस पद के नियुक्ति प्राधिकार संयुक्त निदेशक (रसायन) मिट्टी जॉच प्रयोगशाला, बिहार, पटना थे। प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) के नियंत्रणाधीन प्रक्षेत्र सहायक का पद वेतनमान वेतन स्तर-04 का है। इस पद का संवर्ग प्रमंडल स्तर था तथा पूर्व में इस पद के नियुक्ति प्राधिकार प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) थे। जबकि कृषि विभाग के किसी भी क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रक्षेत्र प्रबंधक का पद वर्तमान में सृजित/स्वीकृत नहीं है।

2. कृषि विभागीय अधिसूचना संख्या-118 दिनांक 09.02.2017 द्वारा बिहार कृषि प्रक्षेत्र 'क्षेत्र सहायक' नियमावली, 2017 प्रख्यात हुआ, जिसकी कंडिका-3 में क्षेत्र सहायक के पद को मूल कोटि का पद, प्रक्षेत्र सहायक के पद को प्रथम प्रोन्नति स्तर का पद तथा प्रक्षेत्र प्रबंधक के पद को द्वितीय प्रोन्नति स्तर का पद घोषित करते हुए इन तीनों पदों का संवर्ग राज्य स्तरीय संवर्ग के रूप में नामित करते हुए इन तीनों पदों के नियुक्ति प्राधिकार कृषि निदेशक, बिहार, पटना को घोषित किया गया है।

3. साथ ही, इस नियमावली की कंडिका-06 में इस संवर्ग में नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता आई0एस0सी0/कृषि डिप्लोमा निर्धारित की गई, कंडिका-08 में सेवा सम्पुष्टि की व्यवस्था की गई, कंडिका-10 में प्रोन्नति हेतु सेवा सम्पुष्टि होना आवश्यक किया गया, कंडिका-11 में विभागीय परीक्षा के लिए निम्नलेखा परीक्षा, उच्चलेखा (पुस्तक रहित) परीक्षा तथा उच्च लेखा (पुस्तक सहित) परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करना अनिवार्य किया गया, कंडिका-12 में कालावधि पूरा करना आवश्यक किया गया, कंडिका-13 में विभागीय प्रोन्नति समिति गठित करने की व्यवस्था की गई है। कंडिका-14 में प्रोन्नति हेतु सभी पद शत प्रतिशत प्रोन्नति से भरे जाने की व्यवस्था की गयी है तथा कंडिका-18 में नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु आवश्यक नीति का पालन करने के लिए व्यवस्था की गयी है।

4. कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन संयुक्त निदेशक (रसायन) मिट्टी जॉच प्रयोगशाला, बिहार, पटना की स्थापना में कार्यरत निम्नांकित क्षेत्र सहायकों द्वारा प्रक्षेत्र सहायक एवं प्रक्षेत्र प्रबंधक के पद पर अपनी-अपनी पदोन्नति के लिए माननीय उच्च न्यायालय, पटना में निम्नलिखित याचिकाएँ दायर किये गये हैं, जिनमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेशों की तिथि एवं आवेदकों की संख्या निम्नवत् है :-

क्रम सं०	वाद सं० एवं वर्ष	वादी एवं प्रतिवादी का विवरण	पारित न्यायादेश की तिथि	आवेदक की संख्या
1	सी०डब्लू०जे०सी० नं०-6452/2018	गिरधारी नन्दन सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	13.04.2018 02.05.2018	05
2	सी०डब्लू०जे०सी० नं०-9258/2018	मनोज कुमार वर्मा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	11.05.2018	01
3	सी०डब्लू०जे०सी० नं०-9293/2018	संजय कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	11.05.2018	01
4	सी०डब्लू०जे०सी० नं०-9309/2018	शैलेन्द्र कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	18.05.2018	01
5	सी०डब्लू०जे०सी० नं०-9327/2018	अम्बिका पासवान बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	18.05.2018	01

6	सी०डब्लू०जे०सी० नं०-9346/2018	उदय कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	18.05.2018	01
7	सी०डब्लू०जे०सी० नं०-9365/2018	गिरेन्द्र कुमार यादव बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	18.05.2018	01
8	सी०डब्लू०जे०सी० नं०-9382/2018	मणि कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	18.05.2018	01
9	सी०डब्लू०जे०सी० नं०-9390/2018	जलेश शर्मा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	18.05.2018	01
10	सी०डब्लू०जे०सी० नं०-9391/2018	श्रीमती मधु देवी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	18.05.2018	01
11	सी०डब्लू०जे०सी० नं०-9409/2018	अरविन्द कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	18.05.2018	01
12	सी०डब्लू०जे०सी० नं०-9458/2018	रंजय कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	18.05.2018	01
13	सी०डब्लू०जे०सी० नं०-9481/2018	परिमल प्रियदर्शी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	18.05.2018	01
14	सी०डब्लू०जे०सी० नं०-9586/2018	अभिमन्यु यादव बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	18.05.2018	01
15	सी०डब्लू०जे०सी० नं०-9708/2018	राजीव रंजन सिन्हा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	18.05.2018	01
16	सी०डब्लू०जे०सी० नं०-9760/2018	निर्मल कुमार गुप्ता बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	18.05.2018	01

5. (i) माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० नं०-6452/2018 में पारित न्यायादेश दिनांक 13.04.2018 का संदर्भित अंश निम्नवत् है :-

"Accordingly, it is directed that the petitioner may file a fresh representation before the respondent no. 4 within a period of two weeks from today and the respondent no. 4 shall dispose of the same by a reasoned and speaking order within a period of four weeks thereafter.

The writ petition is disposed of in the aforesaid terms".

(ii) माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० नं०-6452/2018 में पारित न्यायादेश दिनांक 02.05.2018 का संदर्भित अंश निम्नवत् है :-

"The learned counsel for the petitioners points out that the appropriate authority for considering the representation of the petitioners and disposing of the same is Respondent No. 1 and not Respondent No. 4.

Accordingly, the expression Respondent No. 4 wherever appearing in the order dated 13.04.2018, be read as Respondent No. 1".

(iii) माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० नं०-9258/2018 एवं 9293/2018 में पारित न्यायादेश दिनांक 11.05.2018 तथा सी०डब्लू०जे०सी० नं०-9309/2018, 9327/2018, 9346/2018, 9365/2018, 9382/2018, 9390/2018, 9391/2018, 9409/2018, 9458/2018, 9481/2018, 9586/2018, 9708/2018 एवं 9760/2018 में पारित न्यायादेश दिनांक 18.05.2018 का संदर्भित अंश निम्नवत् है:-

"Accordingly, it is directed that the petitioner may file a representation regarding his grievances within two weeks and in case such representation is filed before the respondent no-1, then the same may be considered and disposed of within a period of four weeks from the date of filing of the said representation by a reasoned and speaking order considering the fact that the new rules /new service conditions have been framed providing for promotional avenues.

The writ petition is disposed of on the aforesaid terms."

6. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित उपर्युक्त न्यायादेशों के आलोक में संबंधित आवेदकों द्वारा पृथक-पृथक रूप से अपने-अपने याचिका में पारित न्यायादेश का उल्लेख करते हुए तथा पारित न्यायादेश की प्रति भी संलग्न करते हुए अपना-अपना दावा अभ्यावेदन कृषि उत्पादन आयुक्त, कृषि विभाग, बिहार, पटना के समक्ष समर्पित किया गया है, जिसमें संबंधित सभी आवेदकों द्वारा कृषि विभागीय अधिसूचना संख्या-118 दिनांक 09.02.2017 द्वारा प्रख्यात बिहार कृषि प्रक्षेत्र 'क्षेत्र सहायक' नियमावली, 2017 में निर्धारित किये गये पद सोपान के तहत प्रथम पदोन्नति प्रक्षेत्र सहायक के पद पर तथा द्वितीय पदोन्नति प्रक्षेत्र प्रबंधक के पद पर प्रदान करने के लिए अनुरोध किया गया है।

7. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एम0जे0सी0 नं0-1900/2018 गिरधारी नंदन सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक 29.08.2018 का संदर्भित सम्पूर्ण अंश निम्नवत् है:-

"The learned counsel for the contemnors has filed a show cause submitting that the proper authority for considering the case of the petitioners is the Director, Department of Agriculture, Patna and he has already taken steps for considering the matter of the petitioners for promotion, however a further period of six weeks is required to complete the process.

In view of the aforesaid, by way of final opportunity, six weeks' time is granted to comply the order, non-compliance whereof has been complained of by the petitioner.

List this case on 31.10.2017. If on the next date of hearing, the order is not complied, the Director would be present in the Court. It is noted that the Director, Administration-cum-Additional Secretary, Department of Agriculture, Patna has appeared in the Court, however his personal appearance for the moment is dispensed with."

8. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित उपर्युक्त न्यायादेशों के आलोक में कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक-722 दिनांक 28.08.2018 एवं 734 दिनांक 02.09.2018 द्वारा कृषि विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्र सहायकों, प्रक्षेत्र सहायकों एवं प्रक्षेत्र प्रबंधकों के स्वीकृत बल, कार्यरत बल एवं रिक्त बल की सूचना उपलब्ध कराने के लिए संबंधित सक्षम प्राधिकारों को निदेशित किया गया, जहाँ संबंधित पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर स्पष्ट हुआ है कि कृषि विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्र सहायक का कुल 318, प्रक्षेत्र सहायक का कुल 241 तथा प्रक्षेत्र प्रबंधक का कुल शून्य पद है। फलतः यह स्पष्ट हुआ है कि बिहार कृषि प्रक्षेत्र 'क्षेत्र सहायक' नियमावली, 2017 के प्रख्यात होने के उपरान्त भी प्रक्षेत्र प्रबंधक का पद स्वीकृत/सृजित नहीं हुआ है, जबकि क्षेत्र सहायक एवं प्रक्षेत्र सहायक का पद पूर्व से ही स्वीकृत/सृजित है, जहाँ प्रक्षेत्र सहायक के स्वीकृत/सृजित सभी 241 पदों पर सुयोग्य क्षेत्र सहायकों को प्रोन्नत किया जाना है।

9. संयुक्त कृषि निदेशक, उपयोगी अनुसंधान, बिहार, पटना के आदेशांक-22A/98 दिनांक 30.01.2013 तथा संयुक्त निदेशक (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार, पटना के आदेशांक-58/557 दिनांक 09.08.2018 द्वारा कुल 63+06=69 (उनहत्तर) क्षेत्र सहायकों की सेवा को सम्पुष्ट किया गया है।

10. कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के आदेशांक-62/647 दिनांक 25.08.2017 द्वारा क्षेत्र सहायकों की अंतिम वरीयता सूची प्रकाशित है।

03/06

